

FORM - III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
 भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर बनाम राजस्थान सरकार
 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट नम्बर 16 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/48

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.02.2023	<p>भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर जरिए शाखा प्रबन्धक भास्कर शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। शाखा प्रबन्धक के द्वारा निवेदन किया कि कृषक चरणजीत कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा भूमि चक 63 एफ के खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3,12,21 में 0.187 हेक्टेयर नहरी भूमि भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर के पास रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। ऑनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से उक्त भूमि बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ऑनलाईन जमाबन्दी में उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे।</p> <p>शाखा प्रबन्धक को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। चरणजीत कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा भूमि चक 63 एफ के खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3,12,21 में 0.187 हेक्टेयर नहरी भूमि भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर के पास रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। अतः उक्त भूमि को भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर में रहन दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 112/108 में क्रम संख्या 11 पर अंकित चरणजीत कौर पत्नी नायब सिंह के हिस्सा 0.187 हेक्टेयर भूमि को रहन भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.वी.) शाखा श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

